



कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व निमाड़, खंडवा म.प्र.

कार्य वितरण आदेश

क्रमांक- 37 /एक-21-1/98

खण्डवा, दिनांक :- 30/04/2025

मैं श्रीमती ममता जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 15 की उपधारा (1) एवं धारा 21 (4) तथा तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 214, 422 तथा 441 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्व में प्रसारित समस्त कार्य वितरण एवं संशोधित कार्य वितरण आदेशों को अतिष्ठित करते हुए, सिविल जिला खंडवा में पदस्थ समस्त न्यायाधीशों/न्यायालयों के बीच सिविल कार्यों एवं उच्च न्यायिक सेवा के न्यायाधीशों के बीच दांडिक कार्यों का वितरण/विभाजन एवं क्षेत्राधिकार निम्नानुसार निर्धारित करती हूँ।

यह आदेश दिनांक 01 मई, 2025 से प्रभावशील होगा और यह आदेश पूर्व से लंबित कार्यवाहियों व प्रकरणों को प्रभावित नहीं करेगा।

क्रमांक	न्यायालय का नाम व स्थान	क्षेत्राधिकार	प्रकरण का प्रकार, जिनकी सुनवाई कर निराकरण किया जाना है।
1	2	3	4
1 (अ)	सत्र न्यायाधीश, खंडवा	सत्र खंड, खंडवा	- सत्र प्रकरण व उनसे उद्भूत विविध कार्यवाहियां, आपराधिक अपीलें एवं आपराधिक पुनरीक्षण। - धारा 482 एवं 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत प्रस्तुत अंतरण आवेदन। - धारा 448 एवं 449 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन। - मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत मानव अधिकार न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों से संबंधित प्रकरण। - विधि और विधायी कार्य विभाग अधिसूचना क्रमांक-17 (ई) 47/2017/21-ब(एक) 4869/2017 भोपाल दिनांक 08.12.2017 के आलोक में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अधीन प्रकरण। - खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के अंतर्गत अपीलें। - किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत अपीलें। - तहसील खंडवा एवं पंधाना अनुविभागीय दंडाधिकारी के आदेशों के विरुद्ध रिवीजन व अन्य कार्यवाहियां। - अन्य समस्त ऐसे प्रकरण व कार्यवाहियां, जो कि अनन्यतः सत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार के हैं तथा जिनके विचारण या सुनवाई के लिये अन्य किसी न्यायाधीश या न्यायालय को पृथक से शक्तियां वेष्टित नहीं की गई हैं एवं जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है।

Sd/-

1(ब)	प्रधान जिला न्यायाधीश, खंडवा	तहसील खंडवा, पंधाना एवं पुनासा	1. ₹1,00,00,000/-(एक करोड़) रुपये से अधिक मूल्यांकन के व्यवहार वाद। 2. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ व कनिष्ठ खंड द्वारा पारित निर्णयों एवं आदेशों से उद्भूत अपीलें। 3. तहसील पुनासा व कुटुम्ब न्यायालय, खंडवा के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को छोड़कर उसी प्रकृति के सभी दीवानी प्रकरण, जिनका क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय को है। 4. भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से उद्भूत अपीलें। 5. नगर पालिक निगम खण्डवा एवं सिविल जिले में स्थित नगर पालिका/नगर पंचायत के चुनावों से संबंधित चुनाव याचिकाएं। 6. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 24 के अंतर्गत अंतरण या प्रत्याहरण के आवेदन। 7. पंचायत अधिनियम के अंतर्गत रिफरेंस। 8. मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4779/2022/21-ब (एक)/2022 दिनांक 15.12.2022 व रजिस्ट्री जबलपुर के पृष्ठांकन क्रमांक-बी/6235/तीन-6-5/2018 दिनांक 23.12.2022 के अनुसार विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (संशोधित) नियम, 2018 (अधोसंरचना परियोजना से संबंधित संविदाओं के बारे में) की धारा 20 (ख) के अंतर्गत दावे। 9. अन्य व्यवहार प्रकरण व कार्यवाहियां, जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं हैं और जो जिला न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य हैं।
2(अ)	विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	सत्र खंड, खंडवा	1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं जमानत आवेदन। 2. विधि विभाग अधिसूचना क्र. 2469/2021 दिनांक 15.07.2021 एवं तत्संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी ज्ञापन क्रमांक-डी/1869 दिनांक 18.06.2021 के अधधीन रहते हुए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन सभी विशेष मामले एवं उनसे संबंधित जमानत आवेदन व अन्य कार्यवाहियां। 3. माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना ए/2852 (NDPS)/III-6-3/89 दिनांक 10.04.2024 के अनुसार स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत वे प्रकरण जिनकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार विशेष न्यायालय को दिया गया

			है एवं उन मामलों से संबंधित जमानत आवेदन व अन्य कार्यवाहियां। 4. औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अध्याय 4 के अंतर्गत प्रकरण। 5. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 22(1) के अधीन विशेष न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले प्रकरण, जमानत आवेदन व अन्य कार्यवाहियां। 6. म.प्र. उच्च न्यायालय के पृष्ठांकन क्रमांक-ए/6630/तीन-6-6/2018 दिनांक 13.09.2023 के साथ संलग्न रिट पिटीशन क्रमांक-754/2016 तेहसीन वि. यूनियन ऑफ इंडिया में पारित निर्णय दिनांक 17.07.2018 में दिये गये निर्देशानुसार भीड़ द्वारा की गई हिंसा एवं हत्या (Lynching & Mob Violence) से संबंधित सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरण। 7. आरक्षी केन्द्र-हरसूद, खालवा एवं किल्लौद को छोड़कर सत्र खंड खंडवा के अंतर्गत विभिन्न आरक्षी केन्द्रों से संबंधित महिलाओं के विरुद्ध अपराध (OAW) बलात्कार व सामूहिक बलात्कार, बलात्कार के साथ हत्या एवं अन्य संबंधित प्रकरण।
2(ब)	प्रथम जिला न्यायाधीश खंडवा के न्यायालय के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, खंडवा	सिविल जिला खंडवा	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले साम्प्रतिक वाद, अपीलें, निष्पादन प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। 2. उक्त प्रकरणों से उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन प्रकरण व विविध कार्यवाहियां।
3(अ)	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश खंडवा व विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	सत्र खंड, खंडवा	1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं जमानत आवेदन। 2. राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) तथा विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त), खंडवा द्वारा प्रस्तुत होने वाले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रकरण, जमानत आवेदन व अन्य कार्यवाहियां। 3. मध्यप्रदेश शासन विधि विधायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक-1/3/2004/4823/2019/21-ब(1) दिनांक 14.10.2019 व मान.उच्च न्याया. पृष्ठांकन क्रमांक-बी/5194/तीन-6-3/03 दिनांक 17.10.2019 के अनुसार निक्षेपको के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के अंतर्गत विशेष न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।

SD/-

3(ब)	प्रथम जिला न्यायाधीश, खंडवा एवं प्रथम अतिरिक्त सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण खंडवा	जिला खंड, खंडवा	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले साम्प्रतिक वाद, अपीलें, निष्पादन प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। 2. म.प्र.राज्य, राजस्व विभाग भोपाल की अधिसूचना क्र-एफ-12-2/2014-सात-शाखा/2ए दिनांक 08.09.2016 एवं माननीय उच्च न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक-67/पीआर(जे) 2018 जबलपुर दिनांक 03.05.2018 के आलोक में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 64 के अधीन निर्देश व प्रकरण। 3. तहसील पुनासा, मांधाता के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों की सीमा में घटित मोटर दुर्घटना के प्रकरण एवं वर्तमान प्रभावशील विधि अनुसार विस्तृत दुर्घटना प्रतिवेदन (Detailed Accident Report)
4(अ)	द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायालय विद्युत अधिनियम 2003	सत्र खंड, खंडवा	1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं जमानत आवेदन। 2. रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक-1336/तीन-2-41/76 खंडवा, दिनांक 21.03.2017 के आलोक में अनन्यतः सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय समस्त चिन्हित एवं सनसनीखेज प्रकरण, जो सत्र खंड खंडवा के अंतर्गत (तहसील हरसूद के अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्रों को छोड़कर) विभिन्न आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत हों। 3. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 से 139 तक के संबंधित प्रकरण, जमानत आवेदन व अन्य कार्यवाहियां (माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक-सी/883/तीन-6-4/2003 जबलपुर, दिनांक 06.02.2025 के आलोक में।)
4(ब)	द्वितीय जिला न्यायाधीश खंडवा एवं द्वितीय अतिरिक्त सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण खंडवा	सिविल जिला खंडवा	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले साम्प्रतिक वाद, अपीलें, निष्पादन प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। 2. लोक न्यास अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं रिफरेंस। 3. तहसील पंधाना को छोड़कर तहसील खंडवा के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों की सीमा में घटित वाहन दुर्घटना संबंधी प्रकरण एवं वर्तमान प्रभावशील विधि अनुसार विस्तृत दुर्घटना प्रतिवेदन (Detailed Accident Report)

			4. कुटुम्ब न्यायालय, खंडवा के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को छोड़कर उसी प्रकृति के तहसील पुनासा के सभी दीवानी प्रकरण, जिनका क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय को है।
5(अ)	तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश, पाक्सो एक्ट खंडवा	सत्र खंड, खंडवा	1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं जमानत आवेदन। 2. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के अधिसूचना क्रमांक-बी/1951 (Exclusive POC SO)/तीन-6-5/2010 (FTSCS) C.S.S. जबलपुर दिनांक 23.04.2025 के आलोक में पुलिस थाना-हरसूद, खालवा एवं किल्लौद को छोड़कर सत्र खंड, खंडवा के अंतर्गत विभिन्न आरक्षी केन्द्रों से संबंधित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरण, जमानत आवेदन व अन्य कार्यवाहियां। 3. बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत बालक न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरण, जमानत आवेदन व अन्य कार्यवाहियां। 4. रजिस्ट्री के ज्ञापन क्रमांक-डी/1869/तीन-6-5/10/तीन-6-6/84 जबलपुर दिनांक-18.06.2021 एवं अधिसूचना क्रमांक-2469/2021 दिनांक 15.07.2021 में दिये निर्देशानुसार, जहां लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधि., 1989 का अपराध भी हो, तो ऐसे प्रकरण, जमानत आवेदन एवं अन्य कार्यवाहियां।
5(ब)	तृतीय जिला न्यायाधीश, एवं तृतीय अतिरिक्त सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण खंडवा	सिविल जिला खंडवा	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले साम्प्रतिक वाद, अपीलें, निष्पादन प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण व विविध कार्यवाहियां।
6(अ)	चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश खंडवा	सत्र खंड, खंडवा	1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं जमानत आवेदन।

6(ब)	चतुर्थ जिला न्यायाधीश, एवं चतुर्थ अतिरिक्त सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण खंडवा	सिविल जिला खंडवा	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले साम्प्रतिक वाद, अपीलें, निष्पादन प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। 2. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अंतर्गत प्रोबेट एवं प्रशासन पत्र के प्रकरण। 3. माध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 42 के अध्यक्षीन रहते हुए वे मामले, जो जिला न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार के हों। 4. तहसील पंधाना के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों की सीमा में घटित वाहन दुर्घटना संबंधी प्रकरण एवं वर्तमान प्रभावशील विधि अनुसार विस्तृत दुर्घटना प्रतिवेदन (Detailed Accident Report) 5. व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1958 के नियम 9 (2) अनुसार पुनासा एवं मांघाता के अधिकार क्षेत्र सहित ₹500/- से अधिक किंतु ₹1,000/- मूल्य तक लघुवाद स्वरूप के व्यवहार वाद और उनसे संबंधित समस्त दीवानी प्रकृति की कार्यवाहियां।
7(अ)	अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हरसूद	सत्र खंड की तहसील हरसूद, खालवा एवं किल्लौद	1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं जमानत आवेदन। 2. कॉलम 3 के समस्त आरक्षी केन्द्र से उद्भूत निम्नलिखित प्रकरण :- अ. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक-ए/3452 जबलपुर दिनांक 04.09.2022 में दिये गये निर्देश के आलोक में महिलाओं के विरुद्ध अपराध (OAW) बलात्कार व सामूहिक बलात्कार, बलात्कार के साथ हत्या एवं अन्य संबंधित प्रकरण। ब. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक-बी/6630 /तीन-6-6/18 जबलपुर, दिनांक 13.09.2023 के आलोक में भीड़ द्वारा की गई हिंसा एवं हत्या (Lynching & Mob Violence) से संबंधित सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरण। स. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, जिनमें उक्त अधिनियम की धारा के साथ साथ अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्या. निवारण) अधिनियम, 1989 के अपराध भी शामिल हैं, व बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत बालक न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरण। द. अन्य समस्त सत्र प्रकरण, समस्त जमानत आवेदन, न्यायिक मजिस्ट्रेट्स हरसूद द्वारा पारित निर्णयों और आदेशों के विरुद्ध आपराधिक अपीलें एवं पुनरीक्षण।

SD/-

			3. कॉलम 3 में दर्शित क्षेत्राधिकार के तहत अनुविभागीय दण्डाधिकारी के आदेश के विरुद्ध रिवीजन व अन्य कार्यवाहियां। 4. कॉलम 3 में दर्शित क्षेत्राधिकार के अन्य आपराधिक प्रकृति के वे प्रकरण व कार्यवाहियां, जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है और जो सत्र न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य हों।
7(ब)	जिला न्यायाधीश हरसूद एवं अतिरिक्त सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, हरसूद	सिविल जिला खंडवा की तहसील हरसूद व खालवा	1. ₹1,00,00,000/- (एक करोड़) रुपये से अधिक मूल्यांकन के व्यवहार वाद। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले साम्प्रतिक वाद, अपीलें, निष्पादन प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण व विविध कार्यवाहियां। 3. सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ एवं कनिष्ठ खंड द्वारा पारित निर्णयों एवं आदेशों से उद्भूत नियमित एवं विविध व्यवहार अपीलें। 4. कुटुम्ब न्यायालय, खंडवा के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को छोड़कर उसी प्रकृति के सभी दीवानी प्रकरण, जिनका क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय को है। 5. म.प्र. राज्य, राजस्व विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक-एफ-12-2/2014-सात- शाखा/2ए दिनांक 08.09.2016 एवं माननीय उच्च न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक-67/पीआर(जे) 2018 जबलपुर दिनांक 03.05.2018 के आलोक में तहसील हरसूद, एवं खालवा के भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 64 के अधीन प्रकरण। 6. माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 42 के अध्याधीन रहते हुए वे मामले, जो जिला न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार के हों। 7. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अंतर्गत प्रोबेट एवं प्रशासन पत्र के प्रकरण। 8. भू-अर्जन अधिनियम, 1894 यथा संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 से संबंधित प्रकरण एवं उससे उत्पन्न कार्यवाहियां। 9. तहसील हरसूद एवं खालवा के समस्त आरक्षी केन्द्र की सीमा में घटित वाहन दुर्घटना के प्रकरण, एवं वर्तमान प्रभावशील विधि अनुसार विस्तृत दुर्घटना प्रतिवेदन (Detailed Accident Report)

Sd/-

			10. व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1958 के नियम 9(2) अनुसार ₹500/- (पांच सौ) रुपये से अधिक किंतु ₹1000/- (एक हजार) रुपये मूल्य तक लघुवाद स्वरूप के व्यवहार वाद और उनसे संबंधित समस्त दीवानी प्रकृति की कार्यवाहियां। 11. कॉलम 3 में दर्शित क्षेत्राधिकार के अन्य व्यवहार प्रकृति के प्रकरण व कार्यवाहियां, जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है और जो जिला न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य हों।
8	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, खंडवा।	जिला खंडवा की तहसील खंडवा एवं पंधाना	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां। 2. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के प्रकरण। 3. नगर पालिका अधिनियम की धारा 139 (1) एवं (2) के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलें। 4. कॉलम 3 के क्षेत्राधिकार से उद्भूत अन्य सिविल प्रकरण एवं अपीलें, जिनकी श्रवणाधिकारिता व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड को है तथा जो किसी अन्य न्यायाधीश को इस कार्य वितरण आदेश द्वारा न दिये गये हों।
9	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, खंडवा	जिला खंडवा की तहसील खंडवा एवं पंधाना	1. ₹5,00,000/- (पांच लाख) रुपये से अधिक व ₹1,00,00,000 (एक करोड़) रुपये तक मूल्यांकन के दीवानी मामले, जो जनवरी से अप्रैल माह में पेश किये जावें। 2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां।
10	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, खंडवा	जिला खंडवा की तहसील खंडवा एवं पंधाना	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां। 2. व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1958 के नियम 9 (2) अनुसार ₹200/- (दो सौ) रुपए से अधिक किंतु ₹500/- (पांच सौ) रुपये मूल्य तक लघुवाद स्वरूप के व्यवहार वाद और उनसे संबंधित समस्त दीवानी प्रकृति की कार्यवाहियां।
11	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, खंडवा	जिला खंडवा की तहसील खंडवा एवं पंधाना	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां। 2. माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक C/2981/(Railway)/III-6-3/57-IX दिनांक 23.04.2025 में उल्लिखित रेल संपत्ति

			अधिनियम, 1966 एवं भारतीय रेल्वे अधिनियम, 1989 अनुसार रेल्वे भूमि के क्षेत्रीय अधिकार से संबंधित प्रकरण।
12	पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, खंडवा	जिला खंडवा की तहसील खंडवा एवं पंधाना	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां।
13	षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, खंडवा	जिला खंडवा की तहसील खंडवा एवं पंधाना	1. ₹5,00,000/- (पांच लाख) रुपये से अधिक एवं ₹1,00,00,000/- (एक करोड़) रुपये तक मूल्यांकन के दीवानी मामले, जो मई से अगस्त माह में पेश किये जावें। 2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां।
14	सप्तम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, खंडवा	जिला खंडवा की तहसील खंडवा एवं पंधाना	1. ₹5,00,000/- (पांच लाख) रुपये से अधिक एवं ₹1,00,00,000/- (एक करोड़) रुपये तक मूल्यांकन के दीवानी मामले, जो सितम्बर से दिसम्बर माह में पेश किये जावें। 2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां।
15	अष्टम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, खंडवा रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट, खंडवा एवं न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, खंडवा	जिला खंडवा की तहसील खंडवा एवं पंधाना	1. राजस्व तहसील खण्डवा क्षेत्र से संबंधित ग्राम न्यायालय अधिनियम-2008 के अंतर्गत के प्रकरण एवं निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अपीलीय आदेशों का क्रियान्वयन। 2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल न्यायिक एवं प्रशासनिक प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां।
16	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, हरसूद जिला खंडवा		रिक्त न्यायालय
17	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, पुनासा जिला खंडवा	जिला खंडवा की तहसील पुनासा (उप-तहसील मांघाता को छोड़कर)	1. प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां। 2. ₹1,00,00,000/- (एक करोड़) रुपये तक के मूल्यांकन के व्यवहार वाद। 3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के प्रकरण। 4. व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 के नियम 9 (2) अनुसार ₹500/- (पांच सौ) रुपये मूल्य तक लघुवाद स्वरूप के व्यवहार वाद और उनसे संबंधित समस्त दीवानी प्रकृति की कार्यवाहियां।

54/-

			5. कॉलम 3 के क्षेत्राधिकार से उद्भूत अन्य सिविल प्रकरण व कार्यवाहियां, जिनकी श्रवणाधिकारिता व्यवहार न्यायाधीश को है तथा जो किसी अन्य न्यायाधीश को इस कार्य वितरण आदेश द्वारा न दिये गये हों।
18	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, शृंखला न्यायालय, मांघाता (औंकारेश्वर) तहसील पुनासा	जिला खंडवा की तहसील पुनासा की शृंखला न्यायालय, मांघाता (औंकारेश्वर)	1. प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां। 2. ₹1,00,00,000/-(एक करोड़) रुपये तक के मूल्यांकन के व्यवहार वाद। 3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के प्रकरण। 4. व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 के नियम 9 (2) अनुसार ₹500/-(पांच सौ) रुपये मूल्य तक लघुवाद स्वरूप के व्यवहार वाद और उनसे संबंधित समस्त दीवानी प्रकृति की कार्यवाहियां। 5. कॉलम 3 के क्षेत्राधिकार से उद्भूत अन्य सिविल प्रकरण व कार्यवाहियां, जिनकी श्रवणाधिकारिता व्यवहार न्यायाधीश को है, तथा जो किसी अन्य न्यायाधीश को इस कार्य वितरण आदेश द्वारा न दिये गये हों।
19	प्रथम व्यवहार न्याया. कनिष्ठ खंड, खंडवा		रिक्त न्यायालय
20	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, खंडवा	जिला खंडवा की तहसील खंडवा एवं पंधाना	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां। 2. तहसील खंडवा एवं पंधाना से उत्पन्न ₹5,00,000 (पांच लाख) रुपये तक मूल्यांकन के दीवानी मामले, जो जनवरी से मार्च माह में पेश किये जावें। 3. जिला खंडवा की तहसील खंडवा व पंधाना से संबंधित अन्य सभी सिविल प्रकृति के प्रकरण व कार्यवाहियां, जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है और जो व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड द्वारा सुनवाई योग्य हों।
21	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, खंडवा		रिक्त न्यायालय
22	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, खंडवा	जिला खंडवा की तहसील खंडवा एवं पंधाना	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां।

23	पंचम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, खंडवा	जिला खंडवा की तहसील खंडवा एवं पंधाना	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश खंडवा द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां। 2. तहसील खंडवा एवं पंधाना से उत्पन्न ₹5,00,000 (पांच लाख) रुपये तक मूल्यांकन के दीवानी मामले, जो अप्रैल से जून माह में पेश किये जावें। 3. व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1958 के नियम 9 (2) अनुसार ₹200/- (दो सौ) रुपये मूल्य तक लघुवाद स्वरूप के व्यवहार वाद और उनसे संबंधित समस्त दीवानी प्रकृति की कार्यवाहियां।
24	षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, खंडवा	जिला खंडवा की तहसील खंडवा एवं पंधाना	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश खंडवा द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां। 2. तहसील खंडवा एवं पंधाना से उत्पन्न ₹5,00,000 (पांच लाख) रुपये तक मूल्यांकन के दीवानी मामले, जो जुलाई व अगस्त माह में पेश किये जावें।
25	सप्तम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, खंडवा	जिला खंडवा की तहसील खंडवा एवं पंधाना	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश खंडवा द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां। 2. तहसील खंडवा एवं पंधाना से उत्पन्न ₹5,00,000 (पांच लाख) रुपये तक मूल्यांकन के दीवानी मामले, जो सितंबर व अक्टूबर माह में पेश किये जावें।
26	अष्टम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, खंडवा		रिक्त न्यायालय
27	नवम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, खंडवा	जिला खंडवा की तहसील खंडवा एवं पंधाना	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश खंडवा द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां। 2. तहसील खंडवा एवं पंधाना से उत्पन्न ₹5,00,000 (पांच लाख) रुपये तक मूल्यांकन के दीवानी मामले, जो नवम्बर व दिसम्बर माह में पेश किये जावें।
28	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, हरसूद जिला खंडवा		रिक्त न्यायालय
29	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, हरसूद जिला खंडवा	जिला खंडवा की तहसील हरसूद एवं खालवा	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खंडवा द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां। 2. ₹5,00,000/- (पांच लाख) रुपये तक के मूल्यांकन के समस्त दीवानी मामले व दीवानी कार्यवाहियां। 3. व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 के नियम 9 (2) अनुसार ₹200/- (दो सौ) रुपये मूल्य तक लघुवाद

SD/-

			स्वरूप के व्यवहार वाद और उनसे संबंधित समस्त दीवानी प्रकृति की कार्यवाहियां।
			4. कॉलम 3 में दर्शित अन्य सभी सिविल प्रकृति के प्रकरण व कार्यवाहियां, जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है और जो व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड द्वारा सुनवाई योग्य हों।

अवकाश पर प्रभार व जमानत आवेदनों के संबंध में व्यवस्था

निम्नलिखित टीप के अध्यक्षीन रहते हुए अन्य आदेश के अभाव में निम्नानुसार तालिका के कॉलम नं. 2 में उल्लिखित न्यायिक अधिकारियों के अवकाश पर होने या अन्यथा अनुपलब्ध होने की स्थिति में उनके न्यायालयों का आवश्यक कार्य कॉलम नं. 3 में उल्लिखित अधिकारी, उनकी अनुपस्थिति में कॉलम नं. 4 में उल्लिखित अधिकारी तथा उनकी अनुपस्थिति में कॉलम नं. 5 में उल्लिखित अधिकारी द्वारा संपादित किया जावेगा। उच्च न्यायिक अधिकारी की स्थिति में आवश्यक कार्य में जमानत, सुपुर्दनामा आदि से संबंधित कार्यवाहियां भी शामिल होंगी। निम्नांकित कॉलम क्रमांक 3, 4 व 5 के सभी अधिकारियों की अनुपस्थिति या अनुपलब्धता की स्थिति में संबंधित मुख्यालय पर उपलब्ध वरिष्ठ जिला न्यायाधीश/वरिष्ठ/कनिष्ठ न्यायाधीश, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा उस न्यायालय के आवश्यक कार्यों का संपादन किया जावेगा -

1	2	3	4	5
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खंडवा	विशेष न्यायाधीश/ प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्याया. के अति. न्याया.	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खंडवा	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खंडवा
2	विशेष न्यायाधीश/ प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्याया. के अति. न्याया. खंडवा	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खंडवा	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खंडवा	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खंडवा
3	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खंडवा	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खंडवा	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खंडवा	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खंडवा
4	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खंडवा	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खंडवा	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खंडवा	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खंडवा
5	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खंडवा	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खंडवा	विशेष न्यायाधीश/ प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश के अति.न्याया	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खंडवा
6	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खंडवा	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खंडवा	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खंडवा	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खंडवा
7	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, हरसूद	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खंडवा	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खंडवा	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खंडवा

SD/-

Sd/-

1	2	3	4	5
22	सप्तम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, खंडवा	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड खण्डवा	पंचम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, खंडवा	षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, खंडवा
23	नवम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, खंडवा	सप्तम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड खण्डवा	षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, खंडवा	पंचम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, खंडवा
24	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड हरसूद	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड खण्डवा	पंचम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, खंडवा	सप्तम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, खंडवा

टीप :-

- (i) सत्र न्यायाधीश, खंडवा के अवकाश पर होने या अनुपलब्धता की दशा में पश्चातवर्ती (repeat) जमानत आवेदन, सत्र न्यायालय में पंजीबद्ध होने के उपरांत, जिस विशेष/अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा पूर्व/सर्वप्रथम या पश्चातवर्ती जमानत आवेदन निराकृत हुआ है, उन्हीं न्यायाधीश को अंतरित (transfer) हुआ माना जावेगा व इसके लिये पृथक से अंतरण आदेश की आवश्यकता नहीं होगी।
- (ii) सत्र मामलों में समान अपराध क्रमांक के मामले में यदि किसी न्यायालय ने एक अभियुक्त के जमानत की सुनवाई की है, तो अन्य अभियुक्तों का जमानत आवेदन भी उसी न्यायालय (यदि वह न्यायालय/न्यायाधीश उपलब्ध है तो) द्वारा श्रवण किया जावेगा।
- (iii) उपरोक्त को छोड़कर सत्र न्यायाधीश की अवकाश पर होने या अनुपलब्धता की दशा में जमानत आवेदन पेश होने पर (जहां ऊपर वर्णित (ii) अनुसार स्थिति न हो) निम्नानुसार दर्शाये जा रहे पुलिस थाने से संबंधित जमानत आवेदन उनके सम्मुख दर्शाये गये अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई हेतु स्वतः अंतरित हो जावेंगे:-

पुलिस थाना क्षेत्र	न्यायालय
1	2
1. थाना कोतवाली खंडवा, जी.आर.पी., आर.पी.एफ एवं आबकारी खंडवा से संबंधित जमानत आवेदन।	विशेष न्यायाधीश, अजा/अजजा, खंडवा
2. थाना मोघट रोड खंडवा, नर्मदा नगर	प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खंडवा
3. थाना पदमनगर खंडवा, पंधाना, जावर एवं मूंदी से संबंधित।	द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खंडवा
4. थाना पिपलौद, मांधाता एवं महिला थाना खंडवा से संबंधित।	तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खंडवा
5. थाना छैगांव-माखन, धनगांव एवं यातायात थाना खंडवा से संबंधित।	चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खंडवा
6. थाना हरसूद, खालवा एवं किल्लौद से संबंधित।	अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हरसूद

54/-

- (iv) सत्र न्यायाधीश के अवकाश या अनुपलब्धता की दशा में, विशेष न्यायालयों में सीधे प्रस्तुत होने वाले धारा 482 व 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के जमानत आवेदनों को छोड़कर, शेष जमानत आवेदन सत्र न्यायालय में प्रस्तुति व पंजीयन उपरांत नामांकित न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई हेतु रखे जावेंगे, जो उनके हवाले किये गये (made over) माने जावेंगे।
- (v) यदि विशेष/अपर सत्र न्यायाधीश, के न्यायालय से संबंधित जमानत आवेदन प्रभारी न्यायाधीश द्वारा निराकृत किया जाता है तो उसका अभिलेख वापस उसी न्यायालय को भेज दिया जावेगा ताकि वह अभिलेख नियमानुसार उस न्यायालय द्वारा अभिलेखागार में भेजा जा सके।
- (vi) अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 एवं स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 से संबंधित विशेष न्यायाधीश का न्यायालय रिक्त होने या विशेष न्यायाधीश की अनुपलब्धता की दशा में इन अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत किये गये या लंबित जमानत आवेदनों एवं अन्य त्वरित सुनवाई हेतु प्रस्तुत आवेदनों की सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक-सी/2262 एवं सी/2264/तीन-6-3/89 जबलपुर, दिनांक-14/09/2020 के अनुसार वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश एवं उनकी अनुपस्थिति में उत्तरवर्ती वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा की जावेंगी।

खंडवा न्यायालय के रिक्त न्यायालयों एवं बाहरी स्थानों से प्राप्त प्रकरणों की कार्य व्यवस्था

1	विशेष/जिला न्यायाधीशों एवं अपर सत्र न्यायाधीशों के रिक्त न्यायालयों (फास्टट्रेक न्यायालय सहित) से संबंधित निष्पादन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां व अपीलीय न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन संबंधी कार्यवाहियां।	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खंडवा।
2	अन्य जिलों व राज्यों से अंतरण पर प्राप्त प्रकरणों की निष्पादन संबंधी कार्यवाहियां, जो जिला न्यायाधीश/अपर जिला न्यायाधीश के निर्णय, आदेश या डिक्री से उद्भूत हुई हों।	चतुर्थ जिला एवं अपर न्यायाधीश, खंडवा।
3	व्यवहार न्यायालय, वरिष्ठ खंड, के रिक्त न्यायालयों से संबंधित निष्पादन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां व अपीलीय न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन संबंधी कार्यवाहियां।	सप्तम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, खंडवा।
4	अन्य जिलों एवं राज्यों से अंतरण पर प्राप्त प्रकरणों की निष्पादन कार्यवाहियां, जो व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, के निर्णय, आदेश या डिक्री से उद्भूत हुई हों।	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, खंडवा।
5	व्यवहार न्यायालय, कनिष्ठ खंड, के रिक्त न्यायालयों से संबंधित निष्पादन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां व अपीलीय न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन संबंधी कार्यवाहियां।	नवम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, खंडवा।
6	अन्य जिलों एवं राज्यों से अंतरण पर प्राप्त प्रकरणों की निष्पादन कार्यवाहियां, जो व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड के निर्णय, आदेश या डिक्री से उद्भूत हुई हों।	सप्तम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, खंडवा।

Sd/-

7	श्रीमती स्मृति सोनी, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, खंडवा, जो संतान पालन अवकाश पर हैं, के न्यायालय से संबंधित निष्पादन एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां व अपीलीय न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन संबंधी कार्यवाहियाँ।	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, खंडवा।
---	--	---

- नोट :-**(1) लोक-अदालत खंडवा/हरसूद एवं पुनासा के माध्यम से निराकृत सिविल मामलों के निष्पादन संबंधी प्रकरण, उसी न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेंगे, जिस न्यायालय द्वारा वे प्रकरण लोक-अदालत को रेफर किये गये थे।
- (2) न्यायालय रिक्त होने के सिवाय, किसी भी आदेश या निर्णय का निष्पादन आवेदन या आनुषांगिक कार्यवाहियां, जिनमें व्यवहार वाद का पुनर्स्थापन भी शामिल है, उसी न्यायालय में होगी, जिस न्यायालय का वह निर्णय या आदेश है एवं वही न्यायालय अपीलीय न्यायालय के आदेशों/निर्णयों का क्रियान्वयन भी करेगा।
- (3) अवकाश प्रभार की व्यवस्था के बावजूद भी यदि ऐसी आकस्मिक स्थिति बनती है, कि जिला मुख्यालय पर कोई भी उच्च न्यायिक सेवा का न्यायाधीश उपलब्ध नहीं हैं, तो प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खंडवा द्वारा व उनकी अनुपलब्धता पर उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट द्वारा औपचारिक व आवश्यक कार्यों का संपादन किया जावेगा।
- (4) मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक-3564/2024 दिनांक 02.09.2024 अनुसार संशोधन संबंधी अधिसूचना के अनुक्रमांक-20 के कॉलम (4) के बिन्दु क्रमांक-(i) एवं (ii) में उल्लिखित स्थानों (केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगर पालिका निगम/नगर पालिका की सीमाओं एवं जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाओं) के संबंध में कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 7 के अधीन आने वाले दीवानी प्रकृति के मामलों के संबंध में कार्यवाहियों का क्षेत्राधिकार कुटुम्ब न्यायालय, खंडवा को होगा और उनसे भिन्न स्थानों के लिए क्षेत्राधिकार इस कार्य वितरण आदेश के अनुसार संबंधित न्यायालय को होगा।

खंडवा

दिनांक- 30 अप्रैल 2025


(श्रीमती समता जैन)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
पूर्व निमाड खंडवा



कार्यालय - प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व निमाड़, खंडवा म.प्र.

प्रष्टांकन क्रमांक-914/एक-21-1/98

खंडवा, दिनांक-30/04/2025

प्रतिलिपि :-

1. विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति अत्याचार निवारण खंडवा।
2. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खंडवा/हरसूद।
3. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/सप्तम/अष्टम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, खंडवा।
4. व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, हरसूद/पुनासा/शृंखला न्यायालय, मांधाता (औंकारेश्वर)।
5. द्वितीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/सप्तम/नवम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, खंडवा/हरसूद।
6. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खंडवा।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, खंडवा/हरसूद/पुनासा की ओर सूचनार्थ।
8. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, खंडवा की ओर पंजीयन लिपिक को संसूचित करने एवं जिला न्यायालय की वेबसाईड पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
पूर्व निमाड़, खंडवा म.प्र.